न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–170/2020 (जीसीएमएस 2020/00112)

1. सुरेश कुमार आयु करीब 50 वर्ष पुत्र गोरधनसिंह जाति जाट निवासी न्यु कॉलोनी के पास व निवासी वार्ड नं. 02 तहसील व जिला झुंझुनू, राजस्थान।

---अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार व जिला झुंझुनू।

---रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक 23.09.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू दिनॉक 14.04.2014 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू ने अपीलांट को जमीन खसरा नम्बर 522 रकबा 44.65 हैक्टेयर बंजड़ में से 0.30 हैक्टेयर वाके ग्राम देरवाला पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने व 57/– रुपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनॉक 15.07.2013 को पारित किया इस निर्णय दिनॉक 15.07.2013 को अपास्त करवाने के लिये अपीलांट ने प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू अपील उनवानी सुरेश कुमार बनाम राजस्थान सरकार अपील सं. 7/2014 पेश की जिसको न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनू ने निर्णय दिनॉक 14.05.2014 से प्रकरण के मूल तथ्यों को बिना समझे ही खारीज कर दिया जो निर्णय विधि विधान के विपरित होने से खारिज योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू का निर्णय दिनॉक 14.05.2014 व न्यायायल तहसीलदार झुन्झुनू का निर्णय दिनॉक 15.07.2013 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली होने से खारीज होने योग्य हैं क्योंकि ग्राम देरवाला बाबत् तहसील झुन्झुनू की सरहद में जमीन गत खसरा नम्बर 183 रकबा 52 बीघा किस्म जमीन बंजड़ हाल खसरा नम्बर 522 रकबा 15.15 हैक्टेयर बंजड़ है तथा अपीलांट ने उक्त जमीन गत खसरा नम्बर 183 में से क्रेसर स्थापित करने के लिये 99 वर्शीय लीज के आधार पर 2 बीघा पुख्ता भूमि आवंटित करने के लिये नियमानुसार आवेदन किया जिस आवेदन पर जिला कलक्टर झुन्झुनू ने नियमानुसार कार्यवाही कर तहसीलदार झुन्झुनू से रिपोर्ट मंगवाकर व ग्राम पंचायत

P.T.O.

देरवाला के अनापत्ति प्रमाण–पत्र व पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शे के आधार पर 2 बीघा पुख्ता जमीन का आवंटन आदे । अपीलांट के हक में दिनाँक 24.07.2002 को जारी किया तथा उक्त आदेश दिनाँक 24.07.2002 की पालना में जिला कलक्टर झुन्झुनू व अपीलांट के बीच उक्त 2 बीघा पुख्ता जमीन का लीज विलेख दिनाँक 13.08.2002 को निष्पादित व उप पंजीयक द्वारा पंजीबद्ध हुआ, इस प्रकार अपीलांट दिनाँक 13.08.2002 से 2 बीघा पुख्ता जमीन का लीजधारक है। उन्होने आगे कथन किया है कि आवंटन आदेश की पालना में सीमांकन कर अपीलांट का कब्जा करवा दिया व आवंटन आदेश दिनाँक 24.07.2002 व लीज विलेख दिनाँक 13.08.2002 की पालना के लिये जिला कलक्टर झुन्झुनू ने तहसीलदार व पटवारी हल्का को आवंटन आदेश की प्रतिप्रेषित की।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलांट ने दिये गये कब्जे में धर्मकांटा, क्रेसर मशीन, ट्रांसफार्मर, बिजली घर स्थापित कर अपना व्यवसाय करता रहा तथा आवंटन आदेश व लीज विलेख के आधार पर उक्त अनुसार स्वतः ही पटवारी हल्का को 2 बीघा पुख्ता जमीन का नामान्तरकरण अपीलांट के हक में दर्ज कर तहसीलदार झुन्झुनू को सत्यापित करना चाहिये था लेकिन उस समय 2 बीघा पुंख्ता जमीन का नामान्तरकरण अपीलांट के हक में दर्ज नहीं किया इसके बाद नामान्तरकरण के लिये अपीलांट ने शिकायत की तो पटवारी हल्का ने अपीलांट से रंजिश रखने लगा व दिनाँक 10.07.2012 को अपीलांट के हक में नामन्तरकरण रकबा गलत दर्ज कर दिनाँक 17.07.2012 को सत्यापित करवाया जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं थी तथा इस नामान्तरकरण के आधार पर आवंटित जमीन का खसरा नम्बर 749/522 डाला गया व रकबा 0.50 हैक्टेयर गलत दर्ज कर दिया जबकि 2 बीघा पुख्ता का रकबा 0.5050 हैक्टेयर का होता है। इस प्रकार जानबुझकर 59 मीटर जमीन अपीलांट के कम दर्ज करने के बाद पटवारी हल्का ने अपीलांट के खिलाफ गलत शिकायत की और गलत शिकायत के आधार पर गलत निर्णय तहसीलदार झुन्झुनू ने पारित कर दिया इस बिन्दु पर गौर नहीं किया व जिला कलक्टर झुन्झुनू व तहसीलदार झुन्झुनू का निर्णय इस बाबत् गलत है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि सीमांकन व कब्जा देने के बाबत् उस समय पटवारी हल्का ने नक्शें में तरमीम नहीं की थी और न ही उस समय नामान्तरकरण दर्ज किया गया था। उन्होने कथन किया कि तहसीलदार झुन्झुनू में पेशी दिनाँक 09.07.2013 का नोटिस अपीलांट को दिनाँक 09.07.2013 को सांयकाल 5:30 पी.एम. पर मिला जिस पर दिनाँक 10.07.2013 को अपीलांट ने इस बाबत् प्रार्थना–पत्र पेशकर जवाब के लिये अवसर चाहा व दिनाँक 11.07.2013 को जवाब के लिये अपीलांट के कहने पर अपीलांट दिनाँक 11.07.2013 को न्यायालय

तहसीलदार झुन्झुनू में जवाब पेश किया तो कहा गया कि मौका निरीक्षण के लिये नोटिस या सूचना दे दी जावेगी लेकिन न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू ने आदेशिका गलत दर्ज कर दिनाँक 15.07.2013 की आदेशिका में नोटिस मिलना व अपीलांट की उपस्थिति दर्ज की गयी है व दिनाँक 10.07.2013 की आदेशिका में अपीलांट का जवाब पेश करना दर्ज है, दिनाँक 09.07.2013 को सांयकाल 5:30 पी.एम. पर अपीलांट को नोटिस मिला था हाजिर होने का तथ्य व नोटिस मिलने का तथ्य गलत है, दिनाँक 10.07.2013 की आदेशिका में जवाब पेश होना व निर्णय के लिये दिनाँक 15.07.2013 की पेशी दी जाना अंकित है जबकि अपीलांट ने जवाब दिनाँक 11.07.2013 को पेश किया था, जिसकी आदेश दिनाँक 15.07.2013 से ताईद होती है। इस प्रकार योग्य अदालत मातहत ने अपीलांट को अवसर न देकर विधि विरुद्ध आदेश दिनाँक 15.07.2013 पारित कर दिया व इस बिन्दु पर न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू ने गौर न कर निर्णय पारित करने में भूल की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अपीलांट के हक में आवंटन व लीज विलेख 2 बीघा पुख्ता का है जिसका रकबा 0.5059 हैक्टेयर होता है अपीलांट का रकबा 0.50 हैक्टयर की मानकर गलत नामान्तरकरण के आधार पर अतिक्रमी मानने में न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू व न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू ने भूल की है जो कि जिला कलक्टर झुन्झुनू का निर्णय बिना वैद्य आधार के व बिना न्यायिक विवेचन के होने से खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 14.05.2014 को व न्यायालय तहसीलदार झुन्झुनू के निर्णय दिनांक 15.07.2013 को खारिज किया जाकर अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम ड्रोप निरस्त की जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम देरवाला स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 522 कुल रकबा 14.65 हैक्टयर किस्म बंजड़ द्वितीय में से 0.08 हैक्टयर व खसरा नम्बर 517 रकबा 11.14 हैक्टयर किस्त बंजड़ द्वितीय में 0.30 हैक्टयर भूमि पर धर्मकांटा पड़त कब्जा मकान, छपरा आदि बनाकर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है तथा तहसीलदार झुन्झुनू द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही आदेश दिनांक 15.07.2013 पारित किया गया है जिसे निरस्त करने के ठोस कारण अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष उपलब्ध नही रहे है जिस कारण से अपीलान्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष खारिज योग्य ही थी। उपरोक्त

तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2014 में किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.05.2014 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।